



पत्रांक : CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/331;

दिनांक: 16 फरवरी 2021

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय (निम्न सूचीनुसार),  
राजस्थान।

### ज्ञान गंगा कार्यक्रम

विषय: राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में विषय दक्षता संवर्द्धन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान एवं राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय पर दिनांक 22–27 फरवरी 2021 को राज्य स्तरीय ऑनलाईन प्रशिक्षण के आयोजन बाबत।

सन्दर्भ: आकाशि का पत्रांक CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020/267; दिनांक 28 जनवरी 2021 के क्रम में।

उपर्युक्त सन्दर्भ लेख है कि राजकीय कला महाविद्यालय अलवर द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के साथ संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 22–27 फरवरी 2021 को "Initiatives for Teaching-Learning Excellence in Economics" विषय पर निर्देशानुसार 06 दिवसीय शॉर्ट टर्म ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित विषय में अद्यतन ज्ञान एवं शिक्षण पद्धति में नवाचारपरक बिन्दुओं पर फोकस किया जायेगा।

निम्नलिखित संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया गया है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि –

1. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाईन आयोजित किया जायेगा, जिसकी सभी तकनीकी व्यवस्थाएं राजकीय कला महाविद्यालय अलवर द्वारा करवाई जायेंगी।
2. प्रशिक्षण का प्रतिदिन न्यूनतम समय 2 घण्टा 30 मिनिट्स का रहेगा, जो कि दोपहर 1.00 बजे से आरम्भ होकर अपराह्न पश्चात 3.30 बजे तक रहेगा। अतः इस प्रयोजनार्थ किसी भी प्रतिभागी को अकादमिक/कर्तव्य अवकाश नहीं दिया जायेगा। नामित संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण को महाविद्यालय में उपस्थित रहकर ही करना है।
3. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तिम आयोजन दिनांक 6 मार्च 2021 को आयोजित किया जायेगा। इस दिनांक तक ज्ञान गंगा के सभी प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किये जाने हैं, अतः संबंधित प्राचार्य नामित संकाय सदस्य/सदस्यों को प्रशिक्षण अवधि में महाविद्यालयी कार्य से मुक्त रखें।
4. इस सूची में नामित संकाय सदस्य के महाविद्यालय के नाम के साथ अंकित उनके मूल पदस्थापन महाविद्यालय अथवा उनके कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन महाविद्यालय के नाम में कोई अन्तर हो तो उन्हें इस आदेश के जरिये निर्देशित किया जाता है कि वे बिना किसी पूरक प्रश्न के अपने मूल पदस्थापन महाविद्यालय के आधार पर पंजीकृत करते हुए इस प्रशिक्षण में सहभागी बनें।
5. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को आयोजक राजकीय महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिये नामित संकाय सदस्य नीचे दिये गये मोबाइल नम्बर्स पर स्वयं सम्पर्क करके रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं अपडेटेड रहेंगे। रजिस्ट्रेशन दार्शक नामित संकाय सदस्य का है और इसे समय रहते पूरा करें।
6. यह कार्यक्रम शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन के लिये एक प्रयास है, जिसमें सभी संकाय सदस्यों की सहभागिता अनिवार्य है। अतः नामित सभी संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, भले ही किसी संकाय सदस्य को दुबारा नामित किया गया हो। सभी नामितों को निर्देशित कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित

करनी है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण हेतु आयुक्तालय में सम्पर्क नहीं करें। इस संबंध में पूर्व में जारी अन्तराल संबंधी निर्देश (आदेश क्रमांक 233; दिनांक 22 जनवरी 2021) को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। सभी नामितों को इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करना उनका स्वयं का उत्तरदायित्व है। नामित व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने की दशा में वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

7. सभी नामित सहभागी आयोजक राजकीय महाविद्यालय में इस प्रयोजनार्थ निम्न अधिकारियों से सम्पर्क करें, और अपने पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि आयोजक महाविद्यालय द्वारा आगामी निर्देश प्रेषित किये जा सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आयोजक महाविद्यालय द्वारा समूह में जुड़ने एवं रजिस्ट्रेशन करने संबंधी दिये जाने वाले निर्देशों का नामित सभी संकाय सदस्य पालन करेंगे।

- डा. नीलम सारस्वत 94139 07272
- डा. मंजू यादव 75977 38366
- डा. सत्यभान यादव 94146 40411

8. इस प्रशिक्षण हेतु नामित संकाय सदस्यों की सूची :-

S. No.	Name of Faculty	Name of College
1.	प्रकाश कुमार बचलस	राजकीय महाविद्यालय अजमेर
2.	रश्मि भार्गव	राजकीय महाविद्यालय अजमेर
3.	प्रकाश सिरवी	राजकीय महाविद्यालय अजमेर
4.	मन्जू श्री गुप्ता	राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर
5.	छुट्टन लाल मीणा	राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
7.	अन्जू बाला गुप्ता	राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
8.	रेणू व्यास	राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
9.	रामनारायण मीणा	राजकीय महाविद्यालय बस्सी
10.	रमेश चन्द्र कीर	राजकीय महाविद्यालय भीलवाडा
11.	विश्वप्रभा गुप्ता	राजकीय महाविद्यालय बीकानेर
12.	ज्योति कपूर भार्गव	राजकीय महाविद्यालय बीकानेर
13.	हेमेन्द्र अरोडा	राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर
14.	मन्जूला बारेठ	राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर
15.	मीरा गुप्ता	राजकीय महाविद्यालय बून्दी
16.	जसलीन कौर	राजकीय महाविद्यालय दौसा
17.	गोविन्द गुप्ता	राजकीय महाविद्यालय दौसा
18.	सन्तोष गढवाल	राजकीय कन्या महाविद्यालय दौसा
19.	स्तिंगधा शर्मा	राजकीय महाविद्यालय जयपुर
20.	नरेन्द्र कुमार वैष्णव	राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर
21.	अर्जुन सिंह उज्जवल	राजकीय महाविद्यालय जालौर
22.	महीपाल	राजकीय महाविद्यालय खेतडी
23.	अमिताव बासू	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
24.	सुनिता शर्मा	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
25.	दीपशिखा शर्मा	राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली
26.	सुमन भाटिया	राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपूतली
27.	राजेश कुमार शर्मा	राजकीय महाविद्यालय सैंपठ
28.	शारदा पाण्डे	राजकीय महाविद्यालय टोंक
29.	सावित्री चान्दोलिया	राजकीय महाविद्यालय टोंक

2

30.	इन्दु शर्मा	राजकीय कन्या महाविद्यालय उदयपुर
31.	वन्दना शर्मा	राजकीय कन्या महाविद्यालय उदयपुर
32.	दिनेश सुखवाल (RVRES)	राजकीय महाविद्यालय अजमेर
33.	इन्दु असेरी	राजकीय महाविद्यालय अजमेर
34.	पूनम सैनी	राजकीय महाविद्यालय अजमेर
35.	ललित कुमार नागौरा	राजकीय महाविद्यालय अजमेर
36.	आर. के. धामाणी	राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
37.	मुकेश कुमार	राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
38.	ओमप्रकाश स्वामी	राजकीय महाविद्यालय आमेट
39.	बाल कृष्ण लद्धा	राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़
40.	लक्ष्मी नारायण	राजकीय महाविद्यालय बालेसर
41.	हरदान राम	राजकीय महाविद्यालय बालोतरा
42.	विजय अरोड़ा	राजकीय कन्या महाविद्यालय बालोतरा
43.	रतिराम जाटव	राजकीय महाविद्यालय बांरा
44.	धीरज कुमार पारीक	राजकीय महाविद्यालय ब्यावर
45.	बीना	राजकीय महाविद्यालय बहरोड़
46.	अंकित गुप्ता	राजकीय महाविद्यालय भवानीमण्डी
47.	सुमन मीणा	राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा
48.	नितेश	राजकीय महाविद्यालय भीनमाल
49.	अरुणा पलिया	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़
50.	शशिबाला शर्मा (RVRES)	राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा
51.	ठण्डी लाल मीना	राजकीय महाविद्यालय छबड़ा
52.	रामेश्वरी मीना	राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा
53.	ईश्वर राम	राजकीय महाविद्यालय चितलवाना
54.	हरि राम मीणा	राजकीय महाविद्यालय दौसा
55.	सीमा चौधरी	राजकीय महाविद्यालय डेगाना

9. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशित/निर्धारित पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करनी है।
10. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।
11. जिन नामित संकाय सदस्यों के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, परन्तु महाविद्यालय का नाम एवं उनका विषय सही है, तो वे अपना पंजीकरण करते समय अपना नाम (सरकारी रिकार्ड के अनुरूप) स्वयं सही कर लें। इसके लिये अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
12. जिन संकाय सदस्यों को इन प्रशिक्षण में नामित किया गया है और वे पहले से ही किसी इंडक्शन/ओरिएण्टेशन/रिफैशर/ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयुक्तालय की ओर से नामित किया गया है अथवा अनुमति प्राप्त हो गई है। यदि ऐसे नामित संकाय सदस्यों का उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, तो उन्हें इन प्रशिक्षणों के तब तक के चरणों से मुक्त किया जाता है, जब तक कि उनके उपर्युक्त प्रोग्राम की अवधि है। परन्तु यदि उनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई है अथवा उनका प्रशिक्षण आरम्भ नहीं हुआ है तो उन्हें इन ज्ञान गंगा कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देनी होगी। यदि ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ज्वाइन करने के उपरान्त उन्हें इंडक्शन/ओरिएण्टेशन/रिफैशर/ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयुक्तालय की ओर अनुमति अथवा आदेश प्राप्त हो जाता है तो उन्हें ज्ञान गंगा कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, परन्तु तब तक उन्हें



ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ज्वाइन करना अनिवार्य है। इस संबंध में पूर्व में ही पत्रांक 233; दिनांक 22 जनवरी 2021 के जरिये आदेश जारी किये जा चुके हैं।

13. उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी आक्रिमिक परिस्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के आधार पर इन कार्यक्रमों में सहभागिता से मुक्ति के लिये प्रयास नहीं करें।
14. सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतिदिन ऑनलाइन फीडबैक देना अनिवार्य है। यह फीडबैक आयोजकों द्वारा यथा निर्देशित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उसी दिन ऑनलाइन जमा कराना होगा।
15. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्ण होने पर सभी प्रशिक्षणार्थी एक सादे कागज पर अपना फीडबैक लिखकर संबंधित प्राचार्य को जमा करवायेंगे, जिसे कि प्राचार्य द्वारा आयुक्तालय को नवाचार प्रकोष्ठ की मेल [gyanganga.cceraj@gmail.com](mailto:gyanganga.cceraj@gmail.com) पर दिनांक 02 मार्च 2021 तक भिजवाया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं –

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज | : प्रभारी अधिकारी नवा. एवं कौशल विकास 94143 04650 |
| 2. डॉ. शिवांगना शर्मा       | : सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास 94615 19852      |
| 3. डॉ. ललिता यादव           | : सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास 95299 93619      |
| 4. डा. विश्राम मीणा         | : सहा. आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास 99503 73686    |

  
संदेश नायक, IAS  
आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/332; दिनांक: 16 फरवरी 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
5. प्राचार्य राजकीय कला महाविद्यालय अलवर।
6. समस्त, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सम्भाग कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. संबंधित नामित संकाय सदस्य, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई-मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

  
डा. विनोद कुमार भारद्वाज  
प्रभारी अधिकारी,  
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ